न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 562 सन 2018

अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र जिसुखराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
2. बुधराम पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/12/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 189/192 के खसरा न0 461 की 9.0800हैक व 462 की 2.3780हैक कुल 11.4580हैक जिसमें लीलाधर का 1/4 हिस्सा व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 179/183 के खसरा न0 149 की 11.95000च खसरा न0 181 की 0.5890हैक कुल 12.5190हैक भूमि में से 0.187बीधा भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 185/171 के खसरा न0 9 की 0.9880व खसरा न0 10/468 की 2.0230हैक व खसरा न0 27 की 3.0860हैक कुल 6.0950हैक भूमि में से लीलाधर 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 91/212 की 3.7940हैक में से 1/2 हिस्सा में से लीलाधर का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जिसुख के नाम से दर्ज थी वादी के दादा जीसुख एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जिसुख के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने खाता विभाजन करने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जिसुख के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 189/192 के खसरा न0 461 की 9.0800हैक व 462 की 2.3780हैक कुल 11.4580हैक जिसमें लीलाधर का 1/4 हिस्सा व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 179/183 के खसरा न0 149 की 11.95000च खसरा न0 181 की 0.5890हैक कुल 12.5190हैक भूमि में से 18.17बीधा भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 185/171 के खसरा न0 9 की 0.9880व खसरा न0 10/468 की 2.0230हैक व खसरा न0 27 की 3.0860हैक कुल 6.0950हैक भूमि में से लीलाधर 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/104 के खसरा न0 91/212 की 3.7940हैक में से 1/2 हिस्सा में से लीलाधर का 1/4 हिस्सा दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SDaidr

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official